न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, मथुरा
प्रकीर्ण वाद संख्या—263 / 2010
मूलवाद संख्या— 332 सन् 1999
गिर्राज सेवक समिति बनाम दिलीप कुमार

14.12.2020

पत्रावली पेश हुई। मन्दिर श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा के मुनीम श्री अशोक कुमार कौशिक द्वारा बताया गया कि बहुत से ठेकेदारों द्वारा ठेके की पूर्ण धनराशि मन्दिर के खाते में जमा नहीं करायी गयी है, जो उन पर बकाया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि ठेकेदार श्री मुकेश कौशिक पर माह सितम्बर 2019 के मु0 78,500/— रूपये, श्री मथुरा दास शर्मा पर माह अक्टूबर 2019 के मु0 8,01,000/— रूपये, श्री हरीशंकर शर्मा पर माह मार्च 2020 के मु0 25,05,000/— रूपये एवं श्री गोविन्द कौशिक पर माह मार्च 2020 के मु0 1,56,000/— रूपये तथा श्री योगेश कौशिक पर माह नवम्बर 2020 के ठेके की धनराशि के मु0 55,000/— रूपये बकाया है जिनमें से ठेकेदार श्री हरीशंकर शर्मा एवं श्री गोविन्द कौशिक द्वारा प्रस्तुत भुगतान में छूट हेतु प्रार्थना पत्र लम्बित है।

मन्दिर की प्रशासनिक समिति द्वारा दी गयी आख्यानुसार ठेकेदार श्री मुकेश कौशिक, श्री मथुरा दास शर्मा, श्री हरीशंकर शर्मा, श्री गोविन्द कौशिक एवं योगेश कौशिक को, उन पर बकाया धनराशि मन्दिर के खाते में जमा करने तक, ठेके की कार्यवाही में भाग लेने से निषेधित किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामान्य परिपत्र एवं विशेष परिपत्र एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के अनुसरण में आगामी माह जनवरी 2021 में भगवान श्री गिर्राज जी महाराज के दर्शन एवं परिक्रमा हेतु आने वाले भारत एवं विश्व के अन्य देशों के लाखों श्रद्धालुओं को कोई असुविधा कारित न हो इस कारण निम्नलिखित आदेश पारित किया जा रहा है —

<u>आदेश</u>

भगवान श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका दिनांक 18.12.2020 को समय 11.00 बजे दिन शुक्रवार एवं उक्त मन्दिर की शाखा भगवान श्री लक्ष्मीनरायन मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका दिनांक 18.12.2020 को समय 02.00 बजे दिन शुक्रवार इस न्यायालय में कराया जाना है। इच्छुक ठेकेदार समय पर पहुंच कर नीलामी की बोली में भाग लें। समय के उपरांत आने पर बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त दोनों ठेकों की भेंट की अवधि दिनांक 31.12.2020 की मध्य रात्रि से दिनांक 31.01.2021 की मध्य रात्रि तक रहेगी। उक्त दोनों ही मन्दिरों के भेंट ठेके की प्रमुख नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं —

1— भगवान श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा एवं उक्त मन्दिर की शाखा भगवान श्री लक्ष्मीनरायन मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका माह जनवरी 2021 अवधि में केन्द्रीय सरकार उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन एवं नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

2— भगवान श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका माह जनवरी 2021 हेतु दिनांक 18.12.2020 को न्यूनतम बोली मु0 50,00,000/— (पचास लाख रूपये) से प्रारम्भ की जायेगी।

3— भगवान श्री लक्ष्मीनरायन मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका माह जनवरी 2021 हेतु दिनांक 18.12.2020 को न्यूनतम बोली मु0 50,000/— (पचास हजार रूपये) से प्रारम्भ की जायेगी।

4— दोनों ठेकों की बोली में प्रत्येक ठेकेदार आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति तथा चैकबुक साथ ले कर आयेंगे यहां चैक की संख्या इस कारण नहीं लिखी गयी है क्योंकि अगर गलत प्रविष्टि ठेकेदार द्वारा कर दी गयी तब नवीन चैक प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होगी।

5— उक्त दोनों ही ठेको का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व जो धनराशि निर्धारित की जायेगी प्रत्येक का पचास प्रतिशत दिनांक 01.01.2021 तक प्रत्येक परिस्थिति में जमा करना होगा तथा शेष पचास प्रतिशत दिनांक 15.01.2021 तक प्रत्येक परिस्थिति में जमा करना होगा। उक्त धनराशि ठेकेदार द्वारा जमा न करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जायेगा।

6— उक्त दोनो ही ठेकों के दोनों ही चैक अविलम्ब जमा करने होंगें प्रथम चैक जो आधी धनराशि का होगा उसको दिनांक 01.01.2021 तक सम्बन्धित बैंक से Clear कराना अनिवार्य होगा। द्वितीय चैक जो शेष धनराशि का होगा उसको दिनांक 15.01.2021 तक सम्बन्धित बैंक से Clear करना अनिवार्य होगा, ऐसा न होने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जायेगा।

7– जो भी ठेकेदार उक्त दोनों ही ठेकों की नीलामी की कार्यवाही में सम्मिलित होंगे उनको पांच लाख रूपये की धनराशि बतौर जमानत बोली लगने से पूर्व जमा करनी होगी।

8– अन्तिम बोली पश्चात् जिसको ठेकेदार को चार्ज दिया जाना है उसको मु0 01,00,000/– (एक लाख रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी जमा करना होगा। ठेकेदार द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा न करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जायेगा।

9– बोली इस प्रकार लगायी जायेगी भगवान श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा के भेंट ठेका हेतु मु0 50,00,000/– (पचास लाख रूपये) से ऊपर बोली का प्रारम्भ किया जायेगा जैसे ही कोई आवेदक उक्त बोली की धनराशि को चुनौती देगा तब नवीन धनराशि की बोली लगायी जायेगी। अन्त मे जो अधिकतम धनराशि बोलेगा उसको प्रस्तावित रूप से ठेकेदार का चार्ज दिया जायेगा।

10– बोली इस प्रकार लगायी जायेगी भगवान श्री लक्ष्मीनरायन मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मथुरा के भेंट ठेका हेतु मु0 50,000/– (पचास हजार रूपये) से ऊपर बोली का प्रारम्भ किया जायेगा जैसे ही कोई आवेदक उक्त बोली की धनराशि को चुनौती देगा तब नवीन धनराशि की बोली लगायी जायेगी। अन्त में जो अधिकतम धनराशि बोलेगा उसको प्रस्तावित रूप से ठेकेदार का चार्ज दिया जायेगा।

11– पूर्व में कुछ ठेकेदार बोली लगाते समय विचार–विमर्श करने के आधार पर न्यायालय कक्ष छोड़ कर चले जाते थे, ये पर परम्परा सर्वदा अनुचित है एवं नियम का उल्लंघन है, जब तक विजेता की घोषणा नहीं हो जाएगी कोई ठेकेदार न्यायालय से लिखित अनुमति के बगैर न्यायालय कक्ष नहीं छोड़ेगा। ठेकेदार के बार–बार न्यायालय कक्ष छोड़ने से पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं कुछ व्यक्तियों को अनावश्यक टीका–टिप्पणी करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अतः जो भी विचार–विमर्श करना है वह न्यायालय कक्ष में ही किया जाएगा क्योंकि Auction का सिद्धान्त है कि जिसने प्रक्रिया के दौरान कक्ष छोड़ा उसको उसी आधार पर Disqualify माना जाता है। इसलिए सभी ठेकेदार उपरोक्त नियम का पालन करें।

12– किसी भी अन्तिम बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार इस न्यायालय को होगा।

14– कोर्ट परिसर मे प्रवेश करने से पूर्व ठेकेदारों एवं मन्दिर कर्मचारियों को अपने हाथ सैनेटाईज कराने होंगे एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

15– बोली के दौरान कोर्ट परिसर में ठेकेदार के साथ मात्र दो सहयोगी ही न्यायालय कक्ष में उपस्थित हो सकते हैं तथा वे सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखेंगे।

उपरोक्त शर्तों के अधीन सभी सम्बन्धित को यह सूचित किया जाता है कि भगवान श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका की कार्यवाही दिनांक 18.12.2020 को 11.00 बजे से एवं भगवान श्री लक्ष्मीनरायन मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मथुरा के भेंट ठेका की कार्यवाही दिनांक 18.12.2020 को 02.00 बजे से निष्पादित की जायेगी। नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय मथुरा समुचित व्यवस्था करने का प्रबन्ध करे। जिनको सूचना प्रेषित की गयी उनका विवरण निम्नांकित है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांक 14.12.2020

14.12.20

सिविल जज, सीनियर डिवीजन,
मथुरा

प्रतिलिपि –

1– न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
2– सूचना अधिकारी मथुरा को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
3– नोटिस बोर्ड दीवानी न्यायालय परिसर, मथुरा।
4– नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मथुरा।
5– नोटिस बोर्ड जिला पंचायत, मथुरा।
6– नोटिस बोर्ड तहसील गोवर्धन, मथुरा।
7– नोटिस बोर्ड होलीगेट, मथुरा।
8– नोटिस बोर्ड नगर निगम, मथुरा।
9– नोटिस बोर्ड जिला न्यायाधीश कार्यालय मथुरा।
10–नियो चैनल मथुरा को निःशुल्क प्रचार प्रसार हेतु।
11– नोटिस बोर्ड मन्दिर दानघाटी, मथुरा।
12– नजारत अनुभाग जिला न्यायालय, मथुरा।

आदेश की प्रतिलिपि न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित